पत्रांक—3/एम-192/118—का0— 3448

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी,
सरकार के सचिव

सेवा में,

सभी विभागों के आयुक्त एवं सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना—15, दिनांक— -12 06

विषय—अनुशासनिक कार्रवाई के मामलों में प्रक्रियात्मक त्रुटिहीन कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के मामले में प्रक्रियात्मक त्रुटियों के कारण न्यायालयों द्वारा दण्डादेशों को निरस्त किया जाता है । विभागीय कार्यवाही की प्रक्रिया के संबंध में समय—समय पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्गत प्रक्रियात्मक अनुदेशों का अनुपालन नहीं किए जाने के कारण ही ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है ।

2. उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के सभी समूहो (वर्गो) के कर्मियों के संबंध में अब एक ही नियमावली—बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005, 13 जुलाई 2005 से लागू है और असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 तथा बिहार एवं उड़ीसा अधीनस्थ सेवायें (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1935 निरसित हो चुकी है । नई 2005 की नियमावली में नियम 9—13 के अन्तर्गत निलंबन के संबंध में विस्तृत प्रावधान किया गया है और उक्त प्रावधानों के संबंध में व्याख्यात्मक मार्गदर्शन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक 7'3 दिनांक 27.03.2006 के तहत परिचारित किया जा चुका है । नियम—14 के अन्तर्गत यह स्पष्ट कर दिया गया है कि किस प्रकार के दंड लघु दंड होंगे और किस प्रकार के दंड वृहत दंड होंगे । लघु दंडों को अधिरोपित करने हेतु प्रकियात्मक प्रावधान नियम—19 में है । वृहत दंडों को अधिरोपित करने हेतु प्रकियात्मक प्रावधान नियम—17 एवं 18 में है । प्रस्तावित दंडों के संबंध में जहाँ बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श करने की आवश्यकता है, वैसे मामले बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श हेतु भेजे जाने के लिए प्रकियात्मक मार्गदर्शन पत्रांक—2609 दिनांक 13.09.2006 के तहत परिचारित किया गया है । उपर्युक्त नियमावली के प्रावधानों तथा निर्गत मार्गदर्शनों का अवलोकन कर उसके अनुकूल कार्रवाई किए जाने से प्रकियात्मक त्रुटि नहीं रह सकती है और फलस्वरूप मात्र प्रकियात्मक त्रुटियों के कारण न्यायालयों द्वारा दण्डादेशों को निरस्त किए जाने की संभावना नहीं रह जायेगी ।

3. अनुशासनिक कार्रवाई के मामलों में प्रक्रियात्मक त्रुटिपूर्ण कार्रवाई करने की स्थिति पर सरकार द्वारा चिन्ता व्यक्त की गयी है एतदर्थ दिनांक 18.09.2006 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में सभी विभाग के आयुक्त एवं सचिव/सचिव की बैठक हुई । बैठक में लिए गए निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में निम्नांकित निदेश दिए जाते हैं :-

(i) द्वितीय कारण-पृच्छा पूछे जाने के क्रम में प्रस्तावित दण्डों की चर्चा कर दी जाती है जो गलत है । इस संबंध में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18 के उप नियम (3) एवं (4) के प्रावधान अवलोकनीय है जिसके अनुसार जाँच प्रतिवेदन से असहमति (यदि कोई हो) के निष्कर्ष के साथ जाँच प्रतिवेदन की प्रति आरोपित सरकारी सेवक को भेजी जाती है और 15 दिनों के अन्दर प्राप्त अभ्यावेदन या निवेदन (यदि कोई हो) पर विचार कर निर्णय लिया जाना है । उक्त प्रावधानों का अनुपालन किया जाना वांछनीय है ।

(ii) उक्त नियमावली के नियम 13 के उप नियम (6) एवं (7) को मद्देनजर रखते हुए समुचित कार्रवाई के पश्चात् दण्डादेश का संरचन करने के क्रम में दण्डों का सप्रकारण उल्लेख किया जाना अपेक्षित है ।

(iii) संचालन पदाधिकारी के मन्तव्य से अनुशासनिक प्राधिकार के असहमति की स्थिति में कार्रवाई का प्रावधान उक्त नियमावली के नियम-18 के उप नियम (2) में है । तदनुसार अनुशासनिक प्राधिकार को असहमति के लिए अपने कारणों को अभिलिखित करना है और ऐसे आरोप से संबंधित स्वयं का निष्कर्ष अभिलेखित करना है यदि इस प्रयोजनार्थ अभिलेख में उल्लेखित साक्ष्य पर्याप्त हो ।

(iv) विभागीय कार्यवाही के चलते रहने के दरम्यान सेवानिवृत्त हो जाने पर विभागीय कार्यवाही चलती रहेगी । बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत उक्त कार्यवाही के स्वतः परिवर्त्तन संबंधी एक आदेश निर्गत किया जाना ही पर्याप्त होगा ।

(v) बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 के तहत सीधी कार्रवाई कदाचार के आरोपों के संदर्भ में नहीं की जा सकती है । नियम 43 (बी) में विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने के फलाफल के आधार पर ही नियम 139 के तहत कटौती संभव है । परन्तु यदि सेवा अभिलेखों के आधार पर सक्षम प्राधिकार को यह समाधान हो जाय कि पेंशनभोगी की सेवा पूर्णतः संतोषजनक नहीं रही है तो ऐसी स्थिति मे नियम 43 (बी) के तहत विभागीय कार्यवाही चलाये बिना भी नियम 139 के तहत सीधे कार्रवाई हो सकती है । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि नियम 139 के तहत पेंशन में कोई कटौती पेंशन की प्रथम स्वीकृति के 3 वर्षों के अन्दर ही की जा सकती है ।

(vi) बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (ख) के परन्तुक के खड (क) के उपखंड (ii) के अनुसार सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही उस घटना के संबंध में चलाई जा सकती है जो विभागीय कार्यवाही चलाये जाने की तिथि से चार वर्ष से अधिक पहले घटित नहीं हुई हो । पटना उच्च न्यायालय के द्वारा सी० डब्ल्यू० जे० सी० नं0-9833/2001 (अशोक कुमार मिश्रा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में दिनांक 19.09.2002 को पारित आदेश [2003(1)PLJR 172] में स्पष्ट किया गया है कि 'the period prescribed under proviso (a) (ii) of rule 43(b) of the Rules has to be read to mean that four years

time would be reckoned from the date of the knowledge of the event by the competent authority." इस आलोक में उक्त चार वर्ष की गणना उस तिथि से की जाएगी जब विभाग को संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध आरोप की जानकारी होती है ।

(vii) कार्य विभागों में अग्रिम की निकासी के अत्यवहृत होने या दुरूपयोग होने की स्थिति में यदि अग्रिम अव्यवहृत है और लौटाया नहीं गया हो तो गबन का आरोप बनाकर समुचित कार्रवाई की जा सकती है । परन्तु यदि अग्रिम या संबंध व्यय संबंधी भाउचर समर्पित किया जाता है तो उसकी सत्यता की जाँच कर समुचित कार्रवाई की जा सकती है ।

विश्वासभाजन

(आमिर सुबहानी)
सरकार के सचिव